अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

सा.का.नि. 423(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 223 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;-

(क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "निधि" से संहिता की धारा 222 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की निधि अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड़) "वर्ष" से किसी वर्ष के 01 अप्रैल को आरंभ होने वाला और ठीक आगामी वर्ष की 31 मार्च, को समाप्त होने वाला कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता में उनका है।

3. लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण.- बोर्ड इन नियमों से संलग्न वित्तीय विवरणों के प्ररूप में अपने लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।

(2) बोर्ड, वित्तीय विवरणों का अनुरक्षण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से दिए गए साधारण निदेशों का पालन करेगा।

4. बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखों विवरण तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना.- (1) बोर्ड, प्ररूप 'क', प्ररूप 'ख' और प्ररूप 'ग' और अनुसूचियों में वित्तीय परिणामों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाते हुए वित्तीय लेखा विवरण और तुलनपत्र तैयार करेगा।

(2) बोर्ड के वित्तीय लेखा विभाग के सक्रिय पूर्णकालिक सदस्यों, बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित कर और बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के सम्यक रूप से संपरिक्षित वार्षिक लेखा विवरण और तुलनपत्र को लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित केंद्रीय सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख जाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

IndiaCode

वित्तीय विवरण का प्ररूप

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

प्ररूप – 'क' (नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

..... तक तुलनपत्र

(राशि रुपए में)

निधि और दायित्व	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
निधि	I		
आरक्षितियां और अधिशेष	II		
चिन्हित और अक्षय निधि	III		
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV		
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V		
आस्थगित प्रत्यय दायित्व	VI		
वर्तमान दायित्व और उपबंध	VII		
कुल			
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII		
निवेश – चिन्हित/अक्षय निधियों से	IX		
निवेश/अन्य	X		
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	XI		
विविध व्यय (समाप्त या समायोजित होने तक)			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

पूर्णकालिक सदस्य

(वित्त और लेखों के प्रभारी) आईबीबीआई

अध्यक्ष

लेखापरीक्षा समिति, आईबीबीआई

अध्यक्ष

आईबीबीआई

स्थानः दिल्ली

तारीखः

IndiaCode

प्ररूप "ख"

समाप्त हुए वर्ष/अवधि संबंधी आय और व्यय खाता

[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

आय	**सूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अनुदान/सहायता राशि	XII		
शुल्क/अंशदान	XIII		
निवेश से आय (निधियों में अंतरित किए गए चिन्हित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय)	XIV		
रायल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV		
अर्जित ब्याज	XVI		
अन्य आय	XVII		
कुल (क)			
व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	XVIII		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	XIX		
अनुदान/सहायता राशि आदि संबंधी व्यय	XX		
ब्याज	XXI		
अवमूल्यन (अनुसूची VIII से संबंधित वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल कुल योग	XXII		
कुल (ख)			
व्यय से अधिक की आय का शेष (क-ख) विशेष आरक्षिती में अंतरण (प्रत्येक को स्पष्ट करें) सामान्य आरक्षिती में/से अंतरण			
समूह/पूंजी निधि में अंतरित किए गए अधिशेष (कमी)			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

पूर्णकालिक सदस्य

(वित्त और लेखों के प्रभारी) आईबीबीआई

अध्यक्ष

लेखापरीक्षा समिति, आईबीबीआई

अध्यक्ष

आईबीबीआई

स्थानः दिल्ली

तारीखः

IndiaCode

प्ररूप "ग"

समाप्त हुए वर्ष/अवधि संबंधी प्राप्ति और भुगतान खाता

[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

(रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. खाता खुलने के समय अतिशेष			1. व्यय		
(क) नकदी			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 18 से संबंधित)		
(ख) बैंक में अतिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 19 से संबंधित)		
(i) चालू खाते में					
(ii) जमा खाते में					
(iii) बचत खाता					
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजाऩाओं की निधि के लिए किया गया भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के ब्यौरे सहित दर्शाया जाएगा)		
(क) भारत सरकार से					
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा)					
III. निवेश प्ररूप संबंधी आय			III. किए गए निवेश और जमाएं		
(क) चिन्हित/अक्षय निधियां			क) चिन्हित/अक्षय निधियों से		
(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश-अऩ्य)			(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश-अऩ्य) से		
IV. प्राप्त ब्याज			IV. स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी संबंधित व्यय		
(i) बैंक जमा			क) स्थित आस्तियों की खरीद		
(ii) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय		

IndiaCode

v. अन्य आय (स्पष्ट करें)			v. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार से		
			ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से		
vi. उधार ली गई राशि			vi. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
vii. अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			vii. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)		
			viii. अंतिम अतिशेष		
			क) नकदी		
			ख) बैंक शेष		
			(i) चालू खाते में		
			(ii) जमा खाते में		
			(iii) बचत खाता		
कुल			**कुल**		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

पूर्णकालिक सदस्य

(वित्त और लेखों के प्रभारी) आईबीबीआई

अध्यक्ष

लेखापरीक्षा समिति, आईबीबीआई

अध्यक्ष

आईबीबीआई

स्थानः दिल्ली

तारीखः

अनुसूची-I

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

निधि

(रुपए में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष राशि				
अतिरिक्तः निधि में किया गया अंशदान				
जोड़े/ (घटाएं): आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष				
वर्ष के अंत में अतिशेष राशि				

IndiaCode

अनुसूची-II

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
1. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिती घटाए: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि				
2. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार मूल्यांकन आरक्षिती घटाए: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि				
3. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षितीयां घटाए: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि				
4. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार सामान्य आरक्षिती घटाए: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि				
कुल				

IndiaCode

अनुसूची-III

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

चिन्हित/अक्षय निधियां

	निधिवार विवरण				**कुल**	
	निधि WW	**निधि XX**	**निधि YY**	**निधि ZZ**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष						
(ख) निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधियों के खाते में किए गए निवेशों से आय						
अन्य अतिरिक्त राशियां (प्रकृति स्पष्ट करें)						
कुल (क+ख)						
(ग) निधियों के उद्देश्य के प्रति किया गया प्रयोग/व्यय						
(i) पूंजी व्यय						
-स्थिर आस्तियां						
-अन्य						
कुल						
(ii) राजस्व व्यय						

-वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि						
-किराया						
-अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल शेष (क+ख-ग)						

1. अनुदान से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण संगत शीर्ष के अधीन किए जाएंगे।

2. केंद्रीय सरकार से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधि के रूप में दर्शाया जाएगा और उसे किसी अन्य निधि के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

अनुसूची-IV

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

प्रतिभूत ऋण और उधार

(रुपए में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
1. केंद्रीय सरकार				
2. वित्तीय संस्था				
(क) अवधि ऋण				
(ख) अर्जित ब्याज और देय				
3. बैंक				
(क) अवधि ऋण - अर्जित ब्याज और देय				
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें) - अर्जित ब्याज और देय				
4. अन्य संस्था और अभिकरण				
5. डिबेंचर और बांड				
6. अन्य (स्पष्ट करें)				
कुल				
टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि				

IndiaCode

अनुसूची-V

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अप्रतिभूत ऋण और उधार

(रुपए में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
1. केंद्रीय सरकार				
2. वित्तीय संस्था				
3. बैंक				
(क) अवधि ऋण				
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)				
4. अन्य संस्था और अभिकरण				
5. डिबेंचर और बांड				
6. स्थिर जमा				
7. अन्य (स्पष्ट करें)				
कुल				
टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि				

MediaCode

अनुसूची-VI

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

आस्थगित ऋण दायित्व

(रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. पूंजी उपकरण और अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाइपोथिकेशन) द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
2. अन्य		
कुल		
टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची-VII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

वर्तमान दायित्व और उपबंध

(रुपए में)

	चालू वर्ष		**पूर्व वर्ष**	
क. वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए				
(ख) अन्य				

3. प्राप्त अग्रिम				
4. प्रोदभूत ऋण जो शोध्यन हो				
(क) प्रतिभूत ऋण/आधार				
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5. कानूनी दायित्व				
(क) अतिरिक्त				
(ख) अन्य				
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
कुल (क)				
ख. उपबंध				
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण				
5. व्यापार वारही/दावा				
6. अन्य (स्पष्ट करे)				
कुल (ख)				
कुल (क) + (ख)				

उपरोक्त में अवक्रय के आस्तियों के मूल्य को सम्मिलित किया गया है।

IndiaCode

अनुसूची-VIII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

स्थिर आस्तियां

(रुपए में)

	सकल ब्लाक				**अवमूल्यन**				**निवल ब्लाक**	
विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जोड़े गए	वर्ष के दौरान घटाए गए/ समायोजित किए गए	वर्ष के अंत के समय लागत	वर्ष के आरंभ के समय	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान घटाए गए/समायोजित किए गए	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष की समाप्ति तक	पूर्व वर्ष की समाप्ति तक
क. स्थिर आस्तियां										
1. भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड										
(ख) पट्टाधृत										
2. भवन										
(क) फ्रीहोल्ड										
(ख) पट्टाधृत भूमि पर										

(ग) स्वामित्व प्राप्त फ्लैट/परिसर										
(घ) ऐसी भूमि जो इकाई की नहीं है पर बड़े ढांचे										
3. सयंत्र मशीनरी और उपकरण										
4. यान										
5. फर्नीचर और फिक्सचर										
6. कार्यालय उपकरण										
7. कंप्यूटर/पेरीफेरल										
8. इलेक्ट्रानिकी इंस्टालेशन										
9. पुस्तकालय की पुस्तकें										
10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थिर आस्तियां										
वर्तमान वर्ष का कुल										
पिछले वर्ष का कुल										
ख. प्रगतिशील पूंजी										
कुल										

टिप्पण: उपरोक्त में सम्मिलित अवक्रय पर ली आस्तियों की लागत के रूप में दी गई लागत सम्मिलित है।

IndiaCode

अनुसूची-IX
(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)
चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश

(रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड		
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची-X

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

निवेश-अन्य

(रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड		
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची-XI

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क.	**वर्तमान आस्तियां**				
	1. ऋण				
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए देय ऋण				
	(ख) अन्य				
	2. वर्तमान नकद अतिशेष (चेक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)				
	3. बैंक अतिशेष				
	(क) अनुसूचित बैंक के साथ				
	(ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ				
	-चालू खाते में				
	-जमा खाते में				
	-बचत खाते में				
	4. पोस्ट आफिस – बचत खाता				
	कुल (क)				
ख.	**ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां**				
	1. निम्नलिखित को ऋण				
	(क) स्टाफ				
	(ख) अन्य इकाइयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हो।				
	(ग) अन्य (स्पष्ट करें)				
	2. नकद या वस्तु या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य				

IndiaCode

	वापसी योग्य राशि और अग्रिम				
	(क) पूंजी खाते पर				
	(ख) पूर्व भुगतान				
	(ग) अन्य				
	3. अर्जित आय				
	(क) चिन्हित/अक्षय निधियों से किए गए निवेश पर				
	(ख) निवेश-अन्य पर				
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर				
	(घ) अन्य (नकद करने के लिए देय राशि अर्थात् रु सहित)				
	4. प्राप्य दावा				
	कुल (ख)				
	कुल (क) + (ख)				

अनुसूची-XII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अनुदान/परिदान

(वापस न किए जाने वाले अनुदान और परिदान)

(रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केंद्रीय सरकार		
2. सरकारी अभिकरण		
3. संस्था/कल्याण निकाय		
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
5. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची-XIII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

शुल्क/अभिदाय

(रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क		
2. फाइलिंग शुल्क		
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		
टिप्पणः प्रत्येक मद के लेंखाकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना है।		

IndiaCode

अनुसूची-XIV

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

निवेश से आय

(चिन्हित/अक्षय निधियों से निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रुपए में)

	चिन्हित निधियों से निवेश		**निवेश-अन्य**	
	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड/डिबेंचर				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (स्पष्ट करें)				
कुल				

अनुसूची XV

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रायल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची XVI

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. आवधिक जमा कर		
(क) अनुसूचित बैंक के साथ		
(ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
(ग) संस्थानों के साथ		
(घ) अन्य		

IndiaCode

2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंक के साथ		
(ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
(ग) पोस्ट आफिस बचत खाता		
(घ) अन्य		
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी/कर्मचारीवृद		
(ख) अन्य		
4. ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल		
टिप्पणः स्रोत पर काटा गया कर उपदर्शित करें।		

अनुसूची-XVII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/निपटान संबंधी पर लाभ		
(क) स्वामित्व प्राप्त आस्तियां		
(ख) अनुदान से प्राप्त आस्तियां या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां		
2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
3. विविध आय		
कुल		

अनुसूची-XVIII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

स्थापना व्यय

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
(क) वेतन और मजदूरी		
(ख) भत्ता और बोनस		
(ग) भविष्य निधि में अभिदाय		
(घ) अन्य निधि (स्पष्ट करें) में अभिदाय		
(ड़) कर्मचारीवृद कल्याण व्यय		
(च) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी खर्चे		
(छ) अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

IndiaCode

अनुसूची-XIX

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
(क) खरीद		
(ख) श्रम और प्रोसेंसिग व्यय		
(ग) गाड़ी भाड़ा और वाहन अभियंत्र		
(घ) विद्युत और शक्ति		
(ङ) जल प्रभार		
(च) बीमा		
(छ) मरम्मत और रखरखाव		
(ज) किराया, दर और कर		
(झ) चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराया प्रभार		
(ञ) डाकखर्च, टेलीफोन और संपर्क प्रभार		
(ट) मुद्रण और स्टेशनरी		
(ठ) यात्रा और परिवहन व्यय		
(ड) संगोष्ठी, कार्यशालाओं पर व्यय		
(ढ) अंशदान व्यय		
(ण) शुल्क संबंधी व्यय		
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क		
(थ) आतिथित्य सत्कार व्यय		
(द) व्यवसायिक प्रभार		
(ध) गलत और संदेहास्पद ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
(न) वापस न होने वाले समाप्त शेष		
(प्त) पैंकिंग प्रभार		
(प) माल भाड़ा और अग्रेषण व्यय		
(फ) वितरण व्यय		
(ब) विज्ञापन और प्रचार व्यय		
(भ) अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

IndiaCode

अनुसूची-XX

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अनुदान, परिदान आदि संबंधी व्यय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता राशि		
कुल		

टिप्पणः इकाईयों के नाम, अनुदान/सहायता की राशि सहित उनके कार्यकलापों को प्रकट करें।

अनुसूची-XXI

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

ब्याज

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्थिर ऋणों पर		
(ख) अन्य ऋणों (बैंक प्रभार सहित) पर		
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

IndiaCode

अनुसूची-XXII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (दृष्टांत स्वरूप)

1. लेखांकन व्यवहार

ऐतिहासिक लागत व्यवहार, जब तक कि लेखांकन के संग्रहण रीति के संबंध में अन्यथा उल्लिखित न हो, के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2. निवेश

2.1 "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत पर तैयार किया जाता है। ऐसे निवेशों के वहन लागत में अस्थायी के अलावा अस्वीकार करने का उपाबंध है।

2.2 "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को कम लागत और उचित मूल्य पर तैयार किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्यों में कमी के उपाबंध को वैश्विक आधार पर तैयार न करके व्यैक्तिक रूप से समझे गए प्रत्येक निवेश के लिए तैयार किया जाता है।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप सम्मिलित हैं।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों को अधिग्रहण लागत पर तैयार किया जाता है जिसमें अभ्यंतर माल भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण संबंधी आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है। निर्माण, संबंधी परियोजनाओं के संबंध में संबंधित पूर्व प्रचालित व्यय (समाप्ति से पूर्व विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए ब्याज पर ऋण सहित) पूंजीगत आस्तियों के मूल्यों का भाग होता है।

3.2 गैर मौद्रिक अनुदानों (संग्रहण निधि में दिए जाने के अलावा) के माध्यम से प्राप्त स्थिर आस्तियों को पूंजी आरक्षण में ऋण देने के माध्यम से मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. अवमूल्यन

4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवमूल्यन सीधी रेखा पद्धति, केवल स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के परिवर्तन के कारण उठने वाले लागत समझौता संबंधी अवमूल्यन, जिसे संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधित किया जाता है के अलावा, पर किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में जोड़ना/घटाना के संबंध में, समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है।

4.3 5,000 रुपए या उससे कम राशि वाली आस्तियों का संपूर्ण संरक्षण किया जाता है।

5. प्रकीर्ण व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को अर्जित करने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता हैं।

6. विक्रय संबंधी लेखांकन

विक्रय में सीमा शुल्क सम्मिलित है और विक्रय विवरणी, छूट और व्यापार छूट का निवल होता है।

7. सरकारी अनुदान/परिदान

7.1 किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिए गए अंशदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षण के रूप में समझा जाता है।

7.2 अधिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों संबंधी अनुदानों को संबंधित आस्तियों के लागत से घटाए जाने के रूप में दर्शाया जाता है।

7.3 सरकारी अनुदानों/परिदानों को वसूली के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1 विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख में दिए गए विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

8.2 वर्तमान आस्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देयताओं को वर्ष के अंत में दिए गए विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप यदि स्थिर आस्तियों और, अन्य मामलों में संबंधित विदेशी मुद्रा देयता को राजस्व के रूप में विचार किया जाता है तो लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों के लागत में समायोजित किया जाता है।

9. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में व्यय किया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

10.1 कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय देय ग्रेच्युटी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता है।

10.2 कर्मचारी के संगृहीत अवकाश नकदीकरण लाभ संबंधी उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

IndiaCode

अनुसूची-XXIII

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणी (दृष्टांत स्वरूप)

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 इकाई के विरूद्ध दावों को - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा

1.2 निम्नलिखित के संबंध में

- इकाई द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी-..... रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

– कंपनी की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

- बैंको के साथ बिल में छूट - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादस्पद मांगें

आयकर - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

जीएसटी - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

नगर निगम - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

1.4 पक्षों से आदेशों के गैर-निष्पादन हेतु दावों, परंतु इकाई द्वारा समर्थन किए जाने के कारण किए गए दावों के संबंध में - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

संविदाओं का अनुमानित मूल्य जो पूंजीगत खातों पर कार्यान्वित किए जाने हैं और (अग्रिमों का निवल) नहीँ दिए गए हैं - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

3. पट्टा बाध्यताएं

सयंत्र और मशीनरी के वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अधीन दिए गए किरायों के संबंध में भविष्य की बाध्यताएं की राशि - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए) है।

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधकों के मतानुसार, वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय में वसूली मूल्य है, जो तुलनपत्र में दर्शाएं गए योगफल राशि के समान है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य आय न होने पर, आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा जाता है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सी.आई.एफ आधार पर गणना की गई आयातों का मूल्य

- तैयार मालों का क्रय

- कच्चा माल और संघटक (ट्रांजिट सहित)

- पूंजी माल

- भंडारण, अतिरिक्त और उपभोग्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

- यात्रा

- विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थानों/बैंको में भुगतान किए गए नकद और ब्याज

IndiaCode

- अन्य व्यय

- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और व्यवसायिक व्यय
- प्रकीर्ण व्यय

6.3 उपार्जन

6.4 लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षक के रूप में :

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंध सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य

7. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित, जहां आवश्यक हो किया जाएगा।

8. अनुसूची I से अनुसूची XXXIII संलग्न किए गए हैं और ये तक तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय खाते का महत्वपूर्ण भाग है।

[फा. सं. 30/13/2018-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2018

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zh) of sub- section (2) of section 239 read with sub-section (1) of section 223 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires;-

(a) 'Code' means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(b) 'Fund' means the Fund of the Board constituted under sub-section (1) of section 222 of the Code;

(c) 'Form' means form annexed to these rules;

(d) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules;

(e 'year' means a financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the immediately following year.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. Maintenance of accounts and records:- The Board shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Board Shall follow the general directions of the Central Government given in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. Preparation and submission of annual statement of accounts of the Board:- (1) The Board shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results and significant accounting policies in Form `A', Form `B' and Form `C' and the Schedules.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Board, duly authenticated by the whole-time members in-charge of Finance Accounts Department of the Board, Chairperson of the Audit Committee of the Board and Chairperson and approved by the Board shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

(3) The duly audited annual statement of accounts and balance sheet of the Board as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Chairperson for every financial year to the Central Government of laying before each House of Parliament.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

[see sub rule (1) of rule 3]

Form –'A'(see sub-rule (1) of rule 4

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Balance Sheet as at_____

(Amount in Rs.)

FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Fund	I		
Reserves and Surplus	II		
Earmarked/Endowment Funds	III		
Secured Loans and Borrowings	IV		
Unsecured Loans and Borrowings	V		
Deferred Credit Liabilities	VI		
Current Liabilities and Provisions	VII		
TOTAL			
ASSETS			
Fixed Assets	VIII		
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	IX		
Investments - Others	X		
Current Assets, Loans and Advances	XI		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
TOTAL			
Significant Accounting Policies	XXII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

IndiaCode

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Whole Time Member (In charge of Finance And Accounts) IBBI	**Chairperson Audit Committee, IBBI**	**Chairperson IBBI**

Place: Delhi
Date:

Form 'C'

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED

[see sub rule (1) of rule 4]

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
(a) Cash in Hand			a) Establishment expenses (corresponding to Sch. 18)		
(b) Bank Balance			b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 19)		
(i) In current Accounts					
(ii) In Deposit Accounts					
(iii) Saving Accounts					
II. Grants Received			II. Payment made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)		
(a) From Government of India					
(b)From Other Sources (Details) (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately)					
III. Income on Investment from			III. Investments and Deposits Made		
(a) Earmarked/Endowment funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
(b) Own funds (Investment - others)			b) Out of own funds (Investment - others)		
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
(i) On Bank Deposits			a) Purchase of fixed Assets		
(ii) Loans, advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-		

IndiaCode

			progress		
V. Other Income (Specify)			V. Refund of surplus money/loans		
			a) To the Government of India		
			b) To other providers of funds		
VI. Amount Borrowed			Vi. Finance Charges (Interest)		
VII. Any other receipts (give details)			VII. Other Payments (Specify)		
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash in Hand		
			b) Bank Balances		
			(i) In current Accounts		
			(ii) In Deposit Accounts		
			(iii) Savings Accounts		
TOTAL			**TOTAL**		

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Whole Time Member (In charge of Finance And Accounts) IBBI	**Chairperson Audit Committee, IBBI**	**Chairperson IBBI**

Place: Delhi
Date:

Form 'B'
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED __
[see sub rule (1) of rule 4]

INCOME	**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Grants/Subsidies	XII		
Fees/Subscriptions	XIII		
Income from Investments (Income on investment, from earmarked/endowment funds transferred to funds)	XIV		
Income from Royalty, Publications etc.	XV		

Interest Earned	XVI		
Other Income	XVII		
Total (A)			
EXPENDITURE	**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Establishment Expenses	XVIII		
Other Administrative Expenses etc.	XIX		
Expenditure on Grants, subsidies etc.	XX		
Interest	XXI		
Depreciation (Net Total at the year end corresponding to Schedule VIII)	XXII		
Total (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/from General Reserve			
Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund			
Significant Accounting Policies	XXII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Whole Time Member (In charge of Finance And Accounts) IBBI | **Chairperson Audit Committee, IBBI** | **Chairperson IBBI**

Place: Delhi
Date:

SCHEDULE - I
[See sub-rule (1) of rule 4]
FUND

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contributions towards fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR –END				

SCHEDULE – II

[See sub-rule (1) of rule 4]

RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1.Capital Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
2.Revaluation Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
3.Special Reserves As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
4.General Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
TOTAL				

IndiaCode

SCHEDULE – III

[See sub-rule (1) of rule 4]

EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

	Fund Wise Break up				**Totals**	
	Fund WW	**Fund XX**	**Fund YY**	**Fund ZZ**	**Current Year**	**Previous Year**
(a) Opening balance of the funds						
(b) Additions to the Funds:						
(i) Donations/grants						
(ii) Income from investments made on account of funds						
(iii) Other additions (specify nature)						
Total (a + b)						
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
(i) Capital Expenditure						
- Fixed Assets						
- Others						
Total						
(ii) Revenue Expenditure						

- Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other Administrative Expenses						
Total						
Total (c)						
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c)						

1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2. Plan Funds received from the Central Government are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE – IV
[see sub-rule (1) of rule 4]
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

	Current Year		**Previous Year**	
1. Central Government				
2. Financial Institutions				
(a) Terms Loans				
(b) Interest accrued and due				
3. Banks				
(a) Term Loans - Interest accrued and due				
(b) Other Loans (specify) - Interest accrued and due				
4. Other Institutions and Agencies				
5. Debentures and bonds				
6. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

IndiaCode

SCHEDULE – V
[see sub-rule (1) of rule 4]
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

	Current Year		**Previous Year**	
1. Central Government				
2. Financial Institutions				
3. Banks				
(a) Term Loans				
(b) Other Loans (specify)				
4. Other Institutions and Agencies				
5. Debentures and bonds				

6. Fixed Deposits				
7. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

SCHEDULE – VI

[see sub-rule (1) of rule 4]

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
2. Others		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – VII

[see sub-rule (1) of rule 4]

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	Current Year		**Previous Year**	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry creditors:-				
(a). For Goods				
(b). Others				
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
(a) Secured Loans/borrowings				
(b) Unsecured Loans/borrowings				
5. Statutory Liabilities:				
(a) Overdue				
(b) Others				
6. Other Current Liabilities				
TOTAL (A)				
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation/Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties/Claims				
6. Others (Specify)				
TOTAL (B)				
TOTAL (A +B)				

Cost of assets on hire purchase basis included above

IndiaCode

SCHEDULE – VIII
[see sub-rule (1) of rule 4)
FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
Description	Cost as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions / Adjustments during the year	Cost at the year end	As at the beginning of the year	During the year	Deductions / adjustments during the year	Total upto the year end	As at the current year end	As at the previous year end
A. fixed assets										
1. Land										
(a) Freehold										
(b) Leasehold										
2. Buildings										
(a) On Freehold Land										
(b) On Leasehold Land										
(c) Ownership Flat/ Premises										
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. Plant Machinery & Equipment										
4. Vehicles										
5. Furniture & Fixture										
6. Office Equipment										
7. Computers/ Peripherals										
8. Electrical Installations										
9. Library Books										
10. Tube wells & Water Supply										
11. Other Fixed Assets										
Total of Current year										
Total of previous year										
B. Capital work in progress										
TOTAL										

Note: To be given as to cost of assets on hire purchase basis included above

IndiaCode

SCHEDULE – IX

[See sub-rule (1) of rule 4]

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – X

[See sub-rule (1) of rule 4]

INVESTMENTS – OTHERS

IndiaCode

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – XI

[See sub-rule (1) of rule 4]

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount in Rs.)

		Current Year		Previous Year	
	CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.				
A	**Current Assets:**				
	1. Debts:				
	(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
	(b) Others				
	2. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)				
	3. Bank Balances:				
	(a) With Scheduled Banks:				
	(b) With Non-Scheduled Banks:				
	- In current accounts				
	- In deposit accounts				
	- In savings accounts				
	4. Post Office - Savings Accounts				
	TOTAL (A)				

B	**LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS**				
	1. Loans to:				
	(a) Staff				
	(b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity				
	(c) Other (specify)				
	2. Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
	(a) On capital account				
	(b) Prepayments				
	(c) Others				
	3. Income Accrued				
	(a) On investments from Earmarked/ Endowment fund				
	(b) On investment - others				
	(c) On loans and advances				
	d) Others (includes income due unrealized Rs. …..)				
	4. Claims Receivable				
	TOTAL (B)				
	TOTAL (A+ B)				

SCHEDULE – XII

[See sub-rule (1) of rule 4]

GRANTS/SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Central Government		
2. Government Agencies		
3. Institutions/ Welfare Bodies		
4. International Organisations		
5. Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE – XIII

(See sub-rule(1) of rule 4)

FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Entrance Fees		
2. Filing Fees		
3. Seminar/ Program Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Others (Specify)		
TOTAL		
Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed		

IndiaCode

SCHEDULE – XIV

[See sub-rule (1) of rule 4]

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount in Rs.)

	Investment from Earmarked Fund		**Investment - Others**	
	Current Year	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
1. Interest				
a) On Government Securities				
b) Other Bonds/ Debentures				
2. Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Others (Specify)				
TOTAL				

SCHEDULE XV

[See sub-rule (1) of rule 4]

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. Income from Royalty		
2. Income from Publications		
3. Others (Specify)		
TOTAL		

IndiaCode

SCHEDULE XVI

[See sub-rule (1) of rule 4]

INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
1. On Term Deposits		
(a) With Scheduled Banks		
(b) With Non - Scheduled Banks		
(c) With Institutions		
(d) Others		
2. On Savings Accounts		
(a) With Scheduled Banks		
(b) With Non - Scheduled Banks		
(c) Post Office Savings Accounts		
(d) Others		
3. On Loans		
(a) Employees/Staff		
(b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL		
Note - Tax deducted at source to be indicated		

SCHEDULE – XVII
[See sub-rule (1) of rule 4]
OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sale/disposal of Assets		
(a) Owned Assets		
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Fees for Miscellaneous Services		
3. Miscellaneous Income		
TOTAL		

SCHEDULE XVIII
[See sub-rule (1) of rule 4]
ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Salaries and Wages		
(b) Allowances and Bonus		
(c) Contribution to Provident Fund		
(d) Contribution to Other Fund (specify)		
(e) Staff Welfare Expenses		
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
(g) Others (Specify)		
TOTAL		

IndiaCode

SCHEDULE XIX
[See sub-rule (1) of rule 4]
OTHER ADNIMISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Purchases		
(b) Labour and processing expenses		
(c) Cartage and Carriage Inwards		
(d) Electricity and power		
(e) Water charges		
(f) Insurance		
(g) Repairs and Maintenance		
(h) Rent, Rates and Taxes		
(i) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		
(j) Postage, Telephone and Communication charges		
(k) Printing and Stationery		
(l) Travelling and Conveyance Expenses		
(m) Expenses on Seminar/ Workshops		
(n) Subscription Expenses		
(o) Expenses of fee		

(p) Auditors Remuneration/ Legal fee		
(q) Hospitality Expenses		
(r) Professional Charges		
(s) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		
(t) Irrecoverable Balances written -off		
(u) Packing Charges		
(v) Freight and Forwarding Expenses		
(w) Distribution Expenses		
(x) Advertisement and Publicity		
(y) Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE XX

[See sub-rule (1) of rule 4]

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
(a) Grants given to Institutions/ Organisations		
(b) Subsidies given to Institutions/ Organisations		
TOTAL		

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE XXI

[See sub-rule (1) of rule 4]

INTEREST

(Amount in Rs.)

	Current Year	**Previous Year**
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
(c) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE – XXII

[See sub-rule (1) of rule 4]

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

3.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

4.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

4.3 Assets consisting Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

7.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

IndiaCode

SCHEDULE – XXIII

[See sub-rule (1) of rule 4]

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs._____

(Previous year Rs._____)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs._____(Previous year Rs._____).

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs._____(Previous year Rs._____).

- Bills discounted with banks Rs._____(Previous year Rs._____).

1.3 Disputed demands in respect of:

Income-tax Rs. _____(Previous Year Rs. _____)

G.S.T. Rs. _____(Previous Year Rs._____)

Municipal Taxes Rs. _____(Previous Year Rs._____)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs._____(Previous year Rs._____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs.

(Previous year Rs._____).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs._____(Previous year Rs._____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Value of Imports calculated on C.I.F Basis:

- Purchase of finished Goods
- Raw Materials & Components (Including in transit)
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

6.2 Expenditure in foreign currency:

- Travel
- Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency

IndiaCode

- Other Expenditure:
 - Commission on Sales
 - Legal and Professional Expenses
 - Miscellaneous Expenses

6.2 Earnings:

6.4 Remuneration to auditors:

As auditors:

- Taxation matters
- For management services
- For certification
- Others

7. Corresponding figures for the previous year have to be regrouped/ rearranged, wherever necessary.

8. Schedules I to XXXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

[F. No. 30/13/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.